ई मेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

महानगर लखनऊ 226006

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–06/2010–12

दिनांकःदिसम्बर 26, 2018

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।

समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः–सीसीटीएनएस पोर्टल पर ''लूट के मामलों के पंजीकरण में नये जोड़े गये मेजर हेड/ माइनर हेड पर्स छिनैती, चैन छिनैती एवं मोबाइल छिनैती में दर्ज किये जाने हेतु निर्देश'' अंकित करने के लिए SOP (Standard Operating Procedures मानक संचालन प्रकियाएं) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज किये जाने में पर्यवेक्षण व अनुश्रवण की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किये जाने एवं की प्राथमिकी दर्ज करते समय सम्पत्ति श्रेणी में ''ऑटोमोबाइल और अन्य'' का चयन नहीं किया जा रहा है जिससे सीसीटीएनएस द्वारा एफ0सी0आर0 का डाटा निकालने और वाहन चोरी की एफ0आई0आर0 भी चोरी के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रही है पर स्पष्टीकरण 05 कार्य–दिवस में इस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने विषयक।

कृपया विषयांकित प्रकरण में इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांकित 17.11.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस पोर्टल पर ''मेजर हेड लूटपाट के अन्तर्गत तीन नये माइनर हेड पर्स छिनैती, चैन छिनैती एवं मोबाइल छिनैती एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं अतः लूट के मामलों का पंजीकरण आवश्यकतानुसार नये जोड़े गये मेजर हेड/ माइनर हेड में अंकित करने के लिए SOP (Standard Operating Procedures मानक संचालन प्रकियाए) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज करने एवं प्राथमिकी दर्ज करते समय सम्पत्ति श्रेणी में ''ऑटोमोबाइल और अन्य'' का चयन नहीं किया जा रहा है जिससे सीसीटीएनएस द्वारा एफ0सी0आर0 का डाटा निकालने और वाहन चोरी की एफ0आई0आर0 भी चोरी के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रही है।

2. **उपरोक्त के अनुक्रम में लूट के सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज करते समय, धारा में बदलाव करते समय व IIF-2 भरते समय पर्स छिनैती, चैन छिनैती एवं मोबाइल छिनैती से सम्बन्धित प्रकरण में उक्त माइनर हेड ही चयनित किया जाय इसके अतिरिक्त प्राथमिकी दर्ज करते समय सम्पत्ति श्रेणी में ''ऑटोमोबाइल और अन्य'' का चयन किया जाय।** निर्देशानुसार सूचना दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस प्रकिया को सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष तथा जनपद के थाना में नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) को सूचना अंकित किये जाने की जिम्मेदारी दी गयी है।

3. इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें। उक्त कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी/ जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) इस कार्यवाही व प्रकिया में सूचना अंकित कराये जाने का नियमित पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गयी है।

4. उपरोक्त सम्बन्ध में परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) द्वारा निर्देशों के अनुपालन न कराये जाने व सौंपी गयी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी व अनुश्रवण नियमित रूप से न करते हुए जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया और राजकीय दायित्वों में शिथिलता बरती गयी है। **आपके द्वारा इस प्रकार का कृत्य राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है। इस सम्बन्ध में**

परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) अपना स्पष्टीकरण 05 कार्य–दिवस में इस मुख्यालय को उपलब्ध करायें, स्पष्टीकरण के अभाव में समझा जायेगा कि आपको प्रश्नगत प्रकरण में कोई अभिकथन अंकित नहीं कराया जाना है तथा एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेकर नियमानुसार प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निर्णय ले लिया जायेगा।

26/12

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को अपने क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन कराये जाने के साथ ही **प्रायः सभी जनपदों द्वारा वाहन चोरी की प्राथमिकी दर्ज करते समय सम्पत्ति श्रेणी में "ऑटोमोबाइल और अन्य" का चयन नहीं किया जा रहा है जिससे** सीसीटीएनएस द्वारा एफ0सी0आर0 का डाटा निकालने और वाहन चोरी की एफ0आई0आर0 भी चोरी के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रही है तथा उपरोक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन का अनुपालन जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा क्राइम मीटिंग में अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से कराये जाने जाने हेतु सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

5. श्री रामदूत सिंह/ श्री प्रमोद कुमार प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
6. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
7. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

ई मेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

महानगर लखनऊ 226006

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–06/2010–12 दिनांक:नवम्बर 17, 2018

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः–सीसीटीएनएस पोर्टल पर "लूट के मामलों के पंजीकरण में नये जोड़े गये मेजर हेड/माइनर हेड पर्स छिनैती, चैन छिनैती एवं मोबाइल छिनैती में दर्ज किये जाने हेतु निर्देश" अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाएं) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज किये जाने विषयक।

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस पोर्टल पर "मेजर हेड लूटपाट के अन्तर्गत तीन नये माइनर हेड पर्स छिनैती, चैन छिनैती एवं मोबाइल छिनैती एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं अतः लूट के मामलों का पंजीकरण आवश्यकतानुसार नये जोड़े गये मेजर हेड/माइनर हेड में अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाएं) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज करने की व्यवस्था है।

2. उपरोक्त के अनुकम में लूट के सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज करते समय, धारा में बदलाव करते समय व IIF-2 भरते समय पर्स छिनैती, चैन छिनैती एवं मोबाइल छिनैती से सम्बन्धित प्रकरण में उक्त माइनर हेड ही चयनित किया जाय। उपरोक्त निर्देश के अनुसार सूचना दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भ में इस प्रकिया को सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष तथा जनपद के थाना में नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) की सूचना अंकित किये जाने की जिम्मेदारी होगी।

3. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा काइम मीटिंग में अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें। इस महत्त्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें। उक्त कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी/ जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) इस कार्यवाही व प्रकिया में सूचना अंकित कराये जाने व का नियमित पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होगी।

4. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा काइम मीटिंग में अधिकारियों को जागरूक करें इस महत्त्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से ले।

समन्वयक अधिकारी– श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ से सीयूजीनं0–7839858257 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नक–यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।

17/11

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड 2, प्रभारी नेटवर्क आपरेटिंग सेन्टर (छक) उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
2. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।